पत्रांक 6023 /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः11 मार्च, 2011

प्रार्थना पत्र सं0 – 2783/28.06.2010
सर्वश्री हेन्ज इण्डिया प्रा0लि0,
एच0सी0एल0 कम्पाउड, देहरादून।
उपस्थिति– सर्वश्री हेन्ज इण्डिया प्रा0लि0, की ओर से श्री एल0आर0नायक जनरल मैनेजर फाइनेन्स, श्री अरविन्द पाटिल मैनेजर, आर.एडं डी. श्री अनुनय शर्मा ब्रॉच कामर्शिलय मैनेजर, श्री प्रमोद गोयल अधिवक्ता फर्म।
निर्णय का दिनांक– मार्च, 2011,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री हेन्ज इण्डिया प्रा0लि0, एच0सी0एल0कम्पाउड देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये Dextrose Monohydrate (DMH) को 4 प्रतिशत की दर से करारोपित करने का अनुरोध किया गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि Dextrose Monohydrate (DMH) की मात्रा ग्लूकोज–डी में (94.4%) को देखते हुये व्यापारी द्वारा Dextro Monohydrate (DMH) को ग्लूकोज–डी की तरह 4 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू करने का अनुरोध किया गया है, लेकिन Dextrose Monohydrate (DMH) मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही होता हैअतः इस पर अवर्गीकृत वस्तओं की भॉति करदेयता लागू होती है।

3. प्रार्थना पत्र की सुनवाई की निर्धारित तिथि को श्री एल0आर0नायक जनरल मैनेजर फाइनेन्स, श्री अरविन्द पाटिल मैनेजर, आर.एडं डी. श्री अनुनय शर्मा ब्रॉच कामर्शिलय मैनेजर, श्री प्रमोद गोयल अधिवक्ता फर्म के साथ उपस्थित हुये। उनके द्वारा Dextrose Monohydrate (DMH) के स्पेशिकेशन एवं उपयोग के सम्बन्ध में अभिलेख दाखिल किये गये, तथा उल्लेख किया गया कि ग्लूकोज–डी जो वैट अधिनिम की अनुसूची–2 'ख' से आच्छादित होता है का मुख्य घटक Dextrose Monohydrate (DMH) ही होता है। अतः Dextrose Monohydrate (DMH) पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता घोषित कर दिया जाय।

4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दाखिल अभिलेख एवं सुनवाई के समय रखे गये तथ्यों तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। जैसा कि व्यापारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि ग्लूकोज–डी के निर्माण में Dextrose Monohydrate (DMH) के अतिरिक्त अन्य कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है तथा Dextrose Monohydrate (DMH) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही होता है। किसी वस्तु विशेष पर कदरेयता का निर्धारण वह किन कच्चे पदार्थो से मिलकर बना है तथा उन कच्चे पदार्थो पर किस दर से करदेयता

लागू है, के अनुसार नही की जा सकती है, करदेयता का निर्धारण अन्तिम उत्पाद पर किया जाता है। व्यापारी का अन्तिम उत्पाद ग्लूकोज–डी है जो उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 के कमांक 58 पर अंकित होने से 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जबकि ग्लूकोज–डी का मुख्य घटक Dextrose Monohydrate (DMH) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नही होता है। अतः Dextrose Monohydrate (DMH) पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भॉति 12.5 प्रतिशत(1 प्रतिशत अतिरिक्त कर) की दर से करदेयता लागू होगी। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(राधा रतूड़ी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 6023 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4 एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5 समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6 ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7 ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8 डिप्टी कमि0(क0नि0)–4 वाणिज्य कर देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित
10 कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
11 संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
12 नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
13 नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
14 लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15 कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16 विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड